उद्योग संचालनालय,
सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम विभाग,
(स्टार्टअप–इन्क्यूबेशन सेल)

क्रमांक : उआ / एसआईसेल / 2017–18 / 56 भोपाल, दिनांक 26/4/2018.

एन्जेल निवेशकों (Angel Investors) हेतु सुविधाएं

म.प्र. में स्टार्टअप को अधिकाधिक सुविधाजनक वातावरण प्राप्त हो तथा प्रदेश में उद्यमिता को बढ़ावा मिले इस उद्देश्य से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग लगातार प्रयासरत है । इन प्रयासों के अन्तर्गत **"मध्य प्रदेश इन्क्यूबेशन एवं स्टार्टअप नीति 2016"** के अन्तर्गत उपलब्ध सुविधाओं का लाभ प्रदान करने हेतु **"मध्य प्रदेश इन्क्यूबेशन एवं स्टार्टअप प्रमोशन स्कीम 2016"**, जारी की गई।

भारत शासन, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा प्रदेशों में स्टार्टअप के प्रोत्साहन हेतु स्टार्टअप रेंकिंग फ्रेम वर्क 2018 जारी करते हुए, राज्यों से अपेक्षा की गई है कि वे स्टार्टअप हेतु विभिन्न सुविधाओं का विस्तार करेंगे । स्टार्टअप की प्रगति हेतु एन्जेल निवेशकों की महत्वपूर्ण भूमिका है । इस तारतम्य में प्रदेश के स्टार्टअप एवं एन्जेल निवेशकों के मध्य संवाद स्थापित हो सके तथा प्रदेश के स्टार्टअप राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध एन्जेल निवेशकों से लाभ प्राप्त कर सकें, अतः एन्जेल निवेशकों को सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विभाग के स्तर पर सुविधाएं देने के लिए निम्न दिशा–निर्देश जारी किए जाते हैं :–

1. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, म.प्र. प्रदेश में स्टार्टअप को निवेश सहायता पहुंचाने के दृष्टिकोण से राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध एन्जेल निवेशकों को प्रदेश में आमंत्रित करेगा।

2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, म.प्र. प्रदेश में स्टार्टअप को सहायता पहुंचाने हेतु सफल उद्यमियों जिनके द्वारा एन्जेल निवेशकों के साथ अपने उद्यम को बढ़ावा दिया गया है, को प्रदेश में आमंत्रित कर स्टार्टअप में निवेश को बढ़ावा देगा ।

3. विभाग प्रदेश के स्टार्टअप एवं उनके द्वारा किए गए कार्यों को एन्जेल निवेशकों के साथ साझा करने हेतु एक कॉमन प्लेटफार्म का निर्माण करेगा, जिससे कि एन्जेल निवेशक प्रदेश के स्टार्टअप में निवेश कर सकें ।

4. राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध एन्जेल निवेशकों की सूची विभाग की वेबसाइट पर जारी की जाएगी ।

5. राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के एन्जेल निवेशकों द्वारा अथवा अन्य संस्थानों द्वारा आयोजित ऐसे कार्यक्रम जिसमें कि एन्जेल निवेशकों एवं प्रदेश के स्टार्टअप के मध्य संवाद स्थापित हो सके तथा एन्जेल निवेशक प्रदेश के स्टार्टअप में निवेश कर सकें, को विभाग द्वारा कार्यक्रम आयोजित करने हेतु स्थान, स्टार्टअप को कार्यक्रम तक लाने की सुविधा एवं अन्य सुविधाएं जो कि विभाग उपलब्ध करा सकता है, प्राप्त कराई जाएगी ।

उद्योग आयुक्त, 26/4
मध्यप्रदेश

पृष्ठांकन क्रमांक : उआ/एसआईसेल/2017–18/56 भोपाल, दिनांक 26/4/2018

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम विभाग, मंत्रालय, मध्य प्रदेश।
2. प्रबंध संचालक, म.प्र. लघु उद्योग निगम/इलेक्ट्रानिक डेवलेपमेन्ट कार्पोरेशन/मध्य प्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेन्ट फेसीलिटेशन कार्पोरेशन/मध्य प्रदेश वेन्चर केपीटल फण्ड लि.
3. मध्य प्रदेश के इन्क्यूबेशन सेन्टर/शासकीय तकनीकी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय महत्व के संस्थान ।
4. आदेश नस्ती ।

26/4/2018
(व्ही.सी. दुबे)
नोडल आफिसर,
स्टार्टअप/इन्क्यूबेशन सेल